-1-

195

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र. ..../.............../...........................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

नि गा - 2367 I-16

पक्षकार - श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम
निवासी ग्राम डुगरिया थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर।

श्री ... द्वारा आज दि 20.7.16 को प्रस्तुत

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्री जवाहर रिझवानी पिता पारूमल रिझवानी
निवासी मकान नं. 959/2 साउथ सिविल लाईन
तहसील व जिला जबलपुर ।

MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P Regd. No. 7829 NOTARY GOVT. OF INDIA

11 JUL 2016

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 69/अ-21/2014-15 में पारित **आदेश** दि. 16/11/2015 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम निवासी ग्राम डुगरिया थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **रिछाई** प.ह. नं. 93 रा.नि.मं.खम्हरिया तहसील च जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 179, 180 रकवा क्रमशः 0.400, 0.410 हे. कुल रकबा 0,810 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री जवाहर रिझवानी पिता पारूमल रिझवानी निवासी मकान नं. 959/2 साउथ सिविल लाईन जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25/04/2015 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्ररतुत किया गया था।

3- प्रकरण में नायब तहसीलदार खम्हरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक **09**/अ-21/14-15 में प्रतिवेदन दि. 10/08/2015 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत ग्राम बरबटी, सोहड़, भैसवाही एंव झिरिया आदि ग्रामों में कुल 4.56 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

4- तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ-21/14-15 में प्रतिवेदन दि. 28/08/15 (Annexure-4) के माध्यम से अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर जबलपुर को अग्रेषित किया गया है।

5- प्रकरण में आवेदक रमेश प्रसाद मरकाम एवं अनावेदक जवाहर रिझवानी द्वारा स्वयं कलेक्टर जबलपुर के समक्ष में उपस्थित होकर दि. 09/11/2015 को शीघ्र सुनवाई हेतु

रमेश

-2-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2367-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-7-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 16-11-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिछाई प.ह.नं. 93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 179, 180 रकबा 0.400 एवं 0.410 कुल रकबा 0.810 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री जवाहर रिझवानी को विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, खम्हरिया को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
	उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदकों द्वारा क्रय की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि भूमि निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमतें भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण कलेक्टर, जबलपुर का आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-10-15 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदकों को उनके भूमिस्वामित्व की ग्राम रिछाई प.ह. नं. 93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 179, 180 रकबा 0.400 एवं 0.410 कुल रकबा 0.810 हैक्टर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2367-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	